



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 30.10.2024

**बिजनौर पुलिस द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद/मृत पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी ।**

### संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.10.2024 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण/पूर्वी द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद/मृत पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की गयी तथा उनको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी ।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्व० आरक्षी अंकुल कुमार पुत्र श्री भूदेव सिंह निवासी ग्राम द्वारिकापुर पुड्डी थाना नहतौर जनपद बिजनौर के घर जाकर परिजनों से वार्ता की गयी तथा उनको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी ।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा स्व० आरक्षी अजय भारती पुत्र श्री सोमे सिंह निवासी ग्राम इस्लामपुर साहू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के घर जाकर परिजनों से वार्ता की गयी तथा उनको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी ।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा स्व० आरक्षी रोहित कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह निवासी ग्राम दरबड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के घर जाकर परिजनों से वार्ता की गयी तथा उनको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी ।



अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा स्व0 निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री पममेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा के के घर जाकर परिजनों से वार्ता की गयी तथा उनको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी।

साथ ही जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा दीपावली पर्व पर छोटे बच्चो, पुलिसकर्मियों के परिजनों व क्षेत्र के आमजन को भी दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गयी।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 30.10.2024

**थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 291/24 धारा 305(ए) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री सदाकत हुसैन पुत्र बुन्दू उर्फ कालू निवासी मौ0 मिर्दगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से सिलेन्डर, LED कटर मशीन व हेमर डिरिल व कुछ नगदी चोरी कर ली गई । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0-291/2024 धारा-305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के

दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र शमशाद निवासी मौ0 पक्का बाग पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 2.नाजिम पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 बुखारा बखशी वाला रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 3.कलवा उर्फ रहीश पुत्र वजीरशाह निवासी मौ0 सराय रफीक वार्ड नं 13 कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

### कार्यवाही –

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नौशाद, 2.नाजिम व 3.कलवा उर्फ रहीश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 01 एलसीडी IMEE कंपनी 32 इंच, 03 कटर मशीन व 03 ग्राइन्डर मशीन भिन्न-भिन्न कंपनी व 03 मोबाइल बरामद किये गए । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### पूछताछ विवरण

अभियुक्तों से की गई पूछताछ मे यह तथ्य प्रकाश मे आये कि तीनों अभियुक्तो ने मिलकर 02 सप्ताह पहले कस्बा झालू मे एक दुकान मे चोरी की थी जिसमे से कुछ सामान को उनके द्वारा दिल्ली ले जाकर अज्ञात व्यक्तियों को बेच दिया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नौशाद पुत्र शमशाद निवासी मौ0 पक्का बाग पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.नाजिम पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 बुखारा बखशी वाला रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

3. कलवा उर्फ रहीश पुत्र वजीरशाह निवासी मौ0 सराय रफीक वार्ड नं 13 कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### **बरामदगी विवरण-**

01 एलसीडी टीवी IMEE कंपनी 32 इंच, 03 कटर मशीन व 03 ग्राइन्डर मशीन भिन्न-भिन्न कंपनी व 03 मोबाइल फोन ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0- 182/20 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0- 321/23 धारा-380/411/457 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-478/22 धारा-380/411/457 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0-506/23 धारा-342/392/411/457 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0-523/23 धारा-307 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0-650/22 धारा-380/411/457 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0-689/22 धारा-380/411/457 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0-738/22 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0-870/23 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0-18/20 धारा-380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0-347/22 धारा-380/411/457 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0-291/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त नाजिम उपरोक्त-**

1. मु0अ0सं0-097/22 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-669/19 धारा-398/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-670/19 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0-988/19 धारा-392/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0-1182/23 धारा-380/411/454 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0-291/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त कलवा उर्फ रहीश**

1. मु0अ0सं0-291/24 धारा-305ए/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री विष्णु शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. हे0 का0 31 अमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
4. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
5. का0 377 अंकित तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 30.10.2024

**थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.10.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त निशान्त कुमार पुत्र विनोद कुमार नि०ग्राम सुगरपुर बेहडा थाना नांगल जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु०अ०स०-276/24 धारा 3/25 आयुध



अधिनियम बनाम निशान्त कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

निशान्त कुमार पुत्र विनोद कुमार नि० ग्राम सुगरपुर बेहडा थाना नांगल जनपद बिजनौर

### बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. का० 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. का० 877 रोशन लाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 30.10.2024

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 321/24 धारा 323/504/506/447/448/326/389 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.06.2024 को वादी अली वारिस पुत्र छोटे निवासी बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी वादी कि अनुपस्थिति मे अभियुक्त इकबाल उर्फ गुड्डू पुत्र चन्दा निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर व जमीन पर कब्जा कर लिया तथा गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 321/24 धारा 323/504/506/447/448 भादवि पंजीकृत किया गया ।



अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 326/389 भादवि की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इकबाल उर्फ गुड्डू पुत्र चन्दा निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इकबाल उर्फ गुड्डू पुत्र चन्दा निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2592 सुमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 30.10.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1022/2024 धारा 64/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, मोटरसाइकिल, पीडिता का मोबाइल फोन व नगदी बरामद।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.10.2024 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 29/10/2024 को वादिया की पुत्री किसी कार्य से दिल्ली गयी थी, तो रात्रि में घर वापिस आते हुए समय करीब 21.30. बजे जब वह बस के इन्तजार में बस स्टैण्ड बिजनौर पर खडी थी तो उसे वहाँ पर एक लडका मिला, जिसे वह नहीं जानती थी। उसने वादिया की पुत्री से कहा कि मैं तुम्हे रेलवे स्टेशन पर छोड दूँगा तभी वह लडका मेरी पुत्री को रोडवेज बस अड्डे से ई-रिक्शा करके उसमें अपने साथ बैठाकर मण्डावर चौराहे से कुछ आगे ले गया, रास्ते मे जब वादिया की पुत्री, वादिया से फोन पर बात कर रही थी तभी उसका फोन एकदम से बंद हो गया था, तभी मेरी पुत्री ने मुझसे उस लडके के फोन से बात की और बताया कि मैं इस लडके के साथ ई-रिक्शा मे बैठी हूँ और रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। उस लडके ने भी वादिया से फोन पर बात की और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे सही सलामत घर पहुंचा दूँगा। लेकिन मंडावर चौराहे से आगे वह वादिया की पुत्री को ई-रिक्शा से उतारकर रेलवे स्टेशन ले जाने का झांसा देकर झाडियों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया, वादिया की पुत्री के शोर मचाने पर उस लडके द्वारा वादिया की पुत्री के साथ मारपीट की गयी तथा एवं जान से मारने की धमकी दी।



इस संबंध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1022/2024 धारा 64/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त राशिद पुत्र इलियास निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 30.10.2024 को स्वाट/सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली शहर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त मोटरसाइकिल पर ग्राम खेडकी से बैराज मार्ग की तरफ आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा चेकिंग शुरु की गयी। माऊंट लिटरा स्कूल के सामने खेडकी रोड पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में

अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम राशिद पुत्र इलियास निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक मोटरसाइकिल व घटनास्थल से 04 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा पीडिता से छीना हुआ मोबाइल फोन एवं ₹ 1500/- बरामद हुए। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल, बिजनौर में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

राशिद पुत्र इलियास निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद

### **बरामदगी –**

एक अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 04 खोखा कारतूस 315 बोर

एक मोटरसाइकिल

पीडिता का छीना हुआ मोबाइल फोन एवं ₹ 1500/-

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1.व0उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 जोगेन्द्र बैसला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 जोगेन्द्र सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 5.हे0कां0 सन्दीप सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 6.हे0कां0 अरुण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 7.कां0 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 6.कां0 अर्पित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना शेरकोट

दिनांक:-30.10.2024

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा नहर में कूदी युवती को सकुशल बचाया गया ।

### संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 30.10.2024 को थाना शेरकोट पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती भिक्कावाला-हरेवली रोड पर नहर में कूद गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुँचकर उक्त युवती को नहर से सकुशल बाहर निकाला गया। पुछताछ करने पर युवती ने बताया कि वह अपने परिजनों से नाराज होकर नहर में कूद गई थी। पुलिस द्वारा युवती के परिजनों को सूचित कर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच थानाध्यक्ष, शेरकोट द्वारा की जा रही है।

### रेस्क्यू वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. उ0नि श्री बिजेन्द्र सिंह राठी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री गौरव मलिक थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. का0 159 आमोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6. म0का0 590 रीनू थाना शेरकोट जनपद बिजनौर